

**ग्राम पंचायत छम्यार, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग—एक**

1 प्रस्तावना:—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत छम्यार, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री भूप सिंह	4 / 2014 से 22.1.16
2	श्री रेलू राम	23.1.16 से अद्यतन

सचिव:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री योग राज शर्मा	4 / 2014 से 3 / 2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

ग्राम पंचायत छम्यार के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवम निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तःशेष में अन्तर	0.07
2	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना	—

3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.48
4	6	अनुदानों का उपयोग न करना	6.32
5	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय	0.22
6	9	सीमेंट का दुर्विनियोजन	—
7	10	बिना बिल/वाउचरों के अग्रिम भुगतान	3.50
8	11	बिना उचित बिल/वाउचरों के अनियमित भुगतान	3.49

भाग—दो

2 वर्तमान अंकक्षण:—

ग्राम पंचायत छम्यार, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवम वर्तमान अंकक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 14, 15 माह 06/17 तथा 01, 3 से 05 माह 7/17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवम् व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गया:—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014—15	03/2015	09/2014
2015—16	03/2016	09/2015
2016—17	03/2017	02/2017

इस अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेंक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत छम्यार, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 04/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का अंकेंक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेंक्षण शुल्क की राशि को रेखाकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेंक्षण अध्याचना संख्या 02 दिनांक 5.7.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 225069 दिनांक 18.7.17 को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति:—

ग्राम पंचायत छम्यार, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:—

(1) स्व स्रोत:— ग्राम पंचायत छम्यार के अवधि 04/2014 से 03/2017 तक की स्व: स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014-15	333393	29645	363038	39839	323199
2015-16	323199	41201	364400	31362	333038
2016-17	333038	91377	424415	136299	288116

(2) अनुदान:— ग्राम पंचायत छम्यार के अवधि 04/2014 से 3/2017 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है:—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014-15	330262	2354206	2684468	1757102	927366
2015-16	927366	2275858	3203224	2542266	660958
2016-17	660958	3591971	4252929	3621051	631878

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹6511.99 का अन्तर

स्व: स्रोत

दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही का अन्तशेष	288116
अनुदान:-	
दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष	631878
दिनांक 31.3.2017 को हस्तगत राशि	799
कुल योग	920793
दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंक खातों का शेष (संलग्न परिशिष्ट II)	1675468.99
अन्तर	754675.99

अन्तर का कारण:-

(i)	दिनांक 22.3.17 को खाता संख्या 31910107065 में जमा S.B.M. अनुदान (HPSCB-Nerchowk) (जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई थी)	500000 248164
(ii)	दिनांक 31.3.17 पहले भुगतानों के लिए जारी किए गए चैक जिनका भुगतान बैंकों द्वारा नहीं किया गया था (संलग्न परिशिष्ट-II)	6511.99 754675.99
(iii)	शेष अन्तर	

जाँच में पाया गया कि अभी भी पंचायत द्वारा समय पर रोकड़ बहियों के अन्त शेष का, बैंक खातों के अन्तशेष से मिलान न करने के कारण, रोकड़ बहियों के अन्तशेष तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹6511.99 का अन्तर है, जिसका मिलान करने के लिए अंकेक्षण अध्याचना संख्या 001, दिनांक 3.7.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नहीं किया गया जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत छम्यार की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तों नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक

खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹0.48 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्वः स्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट-III** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व/गृहकर ₹47875 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹6.32 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट-1**) के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹631878 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.22 लाख स्टॉक का क्रय:-

चयनित मासों के व्यय से सम्बन्धित वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित मामलों में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तों) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67(5) और नियम 69 को अनुपालना करते हुए, बिना भाव दरों के सामान का क्रय किया गया, जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः नियमानुसार सामान का क्रय न करने को कारणों को स्पष्ट करते हुए, इस अनियमितता को, सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके, नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार स्टॉक का क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

क्र०सं०	वा०सं० / माह	विवरण	राशि	अंकेक्षण आपत्ति
1	47 माह 9 / 14 (सामान्य रोकड़ बही)	बिल संख्या शून्य, दिनांक शून्य द्वारा 2500 ईंटों का क्रय	16200	भाव दरें प्राप्त न करना
2	112 माह, 02 / 2017 (सामान्य रोकड़ बही)	बिल संख्या 76247 दिनांक 11.2.17 द्वारा श्री रोशन लाल, तेज राम से सामान की खरीद	5500	—यथोपरि—
		कुल योग	21700	

8 भुगतान के समर्थन में पावती प्रस्तुत न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 50 के अनुसार किसी भी किये गए भुगतान के लिए, प्राप्तकर्ता से पावती प्राप्त करके, तत्सम्बन्धित वाउचरों के साथ संलग्न करना अपेक्षित है, परन्तु वाउचर संख्या 100 माह 02 / 2017 (सामान्य रोकड़ बही) के अन्तर्गत बिल संख्या 1354206 दिनांक शून्य द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम को 200 बैग सीमेन्ट का क्रय करने के लिए 247 प्रति बैग की दर से ₹49400 का भुगतान किया गया, परन्तु इस भुगतान के समर्थन में पावती तत्सम्बन्धित वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाई गई, जिसे प्राप्त करके संलग्न किया जाये तथा भविष्य में किये जाने वाले सभी भुगतानों की पावतियाँ, प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त करके, सम्बन्धित वाउचरों के साथ संलग्न करना सुनिश्चित किया जाये।

9 सीमेन्ट का दुर्विनियोजन:—

वाउचर संख्या 47 (ii) माह 09 / 2015 (सामान्य रोकड़ बही) के अन्तर्गत बिल संख्या 1491015 दिनांक 26.8.15 द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम से 30 बैग सीमेन्ट 223 की दर से क्रय करके स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 42 की प्रविष्टि के अनुसार बरनोग वार्ड में रास्ते के निर्माण हेतु निर्गमित किये गए, परन्तु कार्य की सम्बन्धित माप पुस्तिका 7523 के पृष्ठ संख्या 55 में 26 बैग सीमेन्ट की खपत पाई गई तथा शेष 04 बैग सीमेन्ट की वापसी या अन्य कार्य को हस्तांतरण की कोई प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं पाई गई। अतः इन 04 बैग सीमेन्ट की ₹223 प्रति बैग की दर से ₹892 की वसूली

सम्बन्धित से करके, पंचायत निधि में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 बिना बिल/वाउचर के ₹3.50 लाख का अग्रिम भुगतान:-

चयनित मासों के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 111 माह 02/17 (सामान्य) द्वारा 60 सोलर लाईट्स का क्रय करने के लिए मै0 एक्स0पी0 सोलर चण्डीगढ़ को ₹350000 का अग्रिम भुगतान बिना भुगतान वाउचर के किया गया, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखें, संकर्म, बजट कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 के विपरीत है तथा इस क्रय से सम्बन्धित पूरे बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः बिना वाउचर के अग्रिम राशि के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इस अग्रिम राशि की प्रविष्टि अस्थायी अग्रिम रजिस्टर में करके इस अग्रिम भुगतान का समायोजन किया जाये तथा भविष्य में सभी भुगतान, वाउचरों के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाये।

11 बिना उचित बिल/वाउचर के ₹3.49 लाख का अनियमित भुगतान:-

चयनित मासों के व्यय के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्नलिखित भुगतान यद्यपि वाउचर बनाकर पंचायत निधि से किये गये परन्तु इन भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख आपूर्तिकर्ता का बिल/रसीद आदि अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अभिलेख प्रस्तुत न करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान) भत्ते नियम 2002 के नियम 47 (1) (2) की स्पष्टतया अवहेलना है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये, अन्यथा ₹349125 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	निधि का नाम	वा0सं0/माह	राशि	कार्य का नाम
1	सामान्य (शीर्ष) TFC (ZP)	042 माह, 09/2015	50000	निर्माण L/R छम्यार रीगल
2	मनरेगा	012 माह 09/2014	64000	निर्माण चैक डैम छम्यार नाला
3	मनरेगा	013 माह, 09/2014	39140	—यथोपरि—

4	मनरेगा	014 माह, 09/2014	12360	—यथोपरि—
5	मनरेगा	015 माह 09/2014	44500	निर्माण चैक डैम
6	मनरेगा	017 माह 09/2014	42000	सरोगी नाला
7	मनरेगा	036 माह 02/2017	6000	निर्माण चैक डैम
8	मनरेगा	037 माह 02/2017	60625	कफल्याण
9	मनरेगा	038 माह 02/2017	3000	निर्माण नाली
10	मनरेगा	039 माह 02/2017	25000	हरिजन बस्ती
11	मनरेगा	040 माह 02/2017	2500	थर्की
		कुल योग	₹349125	—यथोपरि—

12 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, विभिन्न रजिस्टर का अनुरक्षण, ग्राम पंचायत द्वारा, अनिवार्य है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा रजिस्ट्रों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवम आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार निम्न रजिस्ट्रों का रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाये।

- (1) अनुदान रजिस्टर
- (2) यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर
- (3) गृह कर मांग व संग्रह रजिस्टर
- (4) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर
- (5) प्रतिस्थापना बिल चैक रजिस्टर (ECR)

13 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का

नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करते हुए भविष्य में सभी भण्डारों का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन करना सुनिश्चित किया जाये।

- 14 **लघु आपत्ति विवरणिका:**— अंकेक्षण में पाई गई लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया। अतः लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।
- 15 **निष्कर्ष:**— ग्राम पंचायत छम्यार के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (11) 25 / 2017-खण्ड-1-7005-7008 दिनांक 01.12. 2017 शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत छम्यार, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बल्ह, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
0177-2620046